प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

27.01.2020 को निर्णय सुरक्षित
18.05.2019 को निर्णय सुनाया गया
डब्ल्यू०ए० क्रमांक 564/2019

डब्ल्यू०पी०एस०– 6488 of 2017 में दिनांक 26.09.2019 के आदेश से उत्पन्न)

सैय्यद यासीन, पिता– एस०के० इब्राहिम, आयु लगभग 66 वर्ष, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सी, एन.सी.पी.एच. कोलियरी, चिरमिरी क्षेत्र माइंस हल्दीबाड़ी, आमानाला चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---- अपीलकर्ता

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
2. मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र, एन.सी.पी.एच. कोलियरी चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़
3. मुख्य निजी प्रबंधक एन.सी.पी.एच. कोलियरी चिरमिरी क्षेत्र पोस्ट हल्दीबाड़ी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़
4. महाप्रबंधक (आईआर और एल) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए: श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता

प्रतिवादी/एसईसीएल के लिए: श्री सुधीर बाजपेयी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री पीआर रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू

सीएवी निर्णय

प्रति पार्थ प्रतिम साहू, जे

1. दिनांक 26.09.2019 को पारित आदेश, जो कि डब्ल्यूपीएस–6488/2017 में पारित किया गया था, की वैधता एवं स्थायित्व को इस रिट अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु परमादेश (Writ of Mandamus) की माँग की गई थी, जिससे उनकी सेवा अभिलेख में जन्मतिथि को सही करते हुए परिशिष्ट पी–17, जो कि आयु निर्धारण समिति की राय के आधार पर जारी पत्र है, जिसमें अपीलकर्ता की जन्मतिथि 15 जुलाई, 1950 अंकित की गई है, को निरस्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता को दिनांक 05.03.1972 को दादा भाई एंड कंपनी नामक एक निजी कोयला कंपनी में जनरल मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अपीलकर्ता की सेवाएँ साउथ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड में समाहित कर दी गईं। सेवा काल के दौरान, अपीलकर्ता को दिनांक 09.02.1979 को इलेक्ट्रिशियन श्रेणी–IV के पद पर पदोन्नत किया गया, और उसी वर्ष अपीलकर्ता ने वायरमैन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्राधिकरण से अनुमति माँगी। तत्पश्चात, अपीलकर्ता को दिनांक 15.05.1985 को इलेक्ट्रिशियन श्रेणी–V के पद पर पदोन्नत किया गया।

3. अपीलकर्ता को दिनांक 18.09.1987 को ज्ञात हुआ कि उनकी जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में 15.07.1950 अंकित कर दी गई है, जबकि वास्तविक जन्मतिथि 19.11.1953 है। उन्होंने तत्काल दिनांक 07.10.1987 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी जन्मतिथि को सही करने हेतु अनुरोध किया। उनके अभ्यावेदन के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी अधिकारियों ने उनसे

उनकी मिडिल स्कूल/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करने को कहा, जिससे उनकी जन्मतिथि 19.11.1953 के रूप में संशोधित की जा सके। इस निर्देश के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने दिनांक 15.06.1988 को परिशिष्ट पी–9 के रूप में अपना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

4. अपीलकर्ता ने पुनः दिनांक 01.01.1993 को अपनी जन्मतिथि को सही करने हेतु कक्षा 8 वीं की अंकसूची प्रस्तुत कर एक अभ्यावेदन दायर किया। दिनांक 11.11.1995 को वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी कर यह सूचित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8 वीं की अंकसूची इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन नंबर–76 (संक्षेप में 'I.I. No.76') के अंतर्गत स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है। तत्पश्चात, अपीलकर्ता के जन्मतिथि सुधार के दावे को अचानक दिनांक 04.09.2000 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके उपरांत, अपीलकर्ता ने वर्ष 2003 में इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका–822/2003 दायर की। उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2007 को पारित आदेश द्वारा प्रतिवादियों को अपीलकर्ता का प्रकरण आयु निर्धारण समिति (Age Determination Committee – ADC) को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात, महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 27.08.2007 को उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र को पत्र लिखा गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आयु निर्धारण समिति द्वारा फॉर्म–बी रजिस्टर में अंकित उम्र को अनुशंसित किया गया है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि रजिस्टर में जन्मतिथि 15.07.1947 दर्ज थी, किंतु बाद में एक टिप्पणी के अनुसार फॉर्म–बी के अनुसार जन्मतिथि 15.07.1950 दर्ज की गई। इस पत्र से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने रिट याचिका (संख्या WPS–6488/2007) दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिवादी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस०ई०सी०एल०) द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि फॉर्म–बी रजिस्टर में जन्मतिथि 15.07.1950 दर्ज है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र उनकी सेवा में प्रवेश के पश्चात जारी किया गया था, अतः इसे जन्मतिथि सुधार हेतु

मान्य नहीं माना जा सकता। माननीय एकलपीठ द्वारा तर्क, दस्तावेज़ों एवं पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए दिनांक 26.09.2019 को उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। इस निर्णय में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय एस०ई०सी०एल० बनाम संपत कुमार चौहान (WA–399/2014, दिनांक 27.02.2015) का भी संदर्भ लिया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलकर्ता को प्रारंभ में एक निजी कंपनी, अर्थात् दादा भाई कंपनी में जनरल मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था, जहाँ नियुक्ति के समय किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रीयकरण के उपरांत, 05.03.1972 को उनकी सेवाएँ एस०ई०सी०एल० में समाहित की गईं। अपीलकर्ता को वर्ष 1979 में इलेक्ट्रिशियन श्रेणी–IV के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 1985 में वायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इलेक्ट्रिशियन श्रेणी–V पर 15.05.1985 से पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात, 24.07.1995 को उन्हें इलेक्ट्रिशियन/इलेक्ट्रिक फ़िटर श्रेणी–VI के पद पर पदोन्नत किया गया, अपीलकर्ता द्वारा 1987 में अपनी जन्मतिथि की त्रुटि का पता लगते ही सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र को 09.06.1988 को एस०ई०सी०एल० द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें अपीलकर्ता के दिनांक 07.10.1987 के पत्र का उल्लेख किया गया। अपीलकर्ता को मिडिल स्कूल/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। अपीलकर्ता ने मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, परंतु तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अचानक 04.09.2000 को अपीलकर्ता का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि जन्मतिथि में सुधार की कोई संभावना नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता वर्ष 1987 से ही, अर्थात् जैसे ही उसे सेवा अभिलेख में जन्मतिथि की त्रुटि का पता चला, सुधार हेतु आवेदन कर रहा है, किंतु माननीय एकलपीठ द्वारा रिट याचिका को अस्वीकार करते हुए आयु निर्धारण समिति (ADC) की राय को आधार बनाया गया, जिसमें अपीलकर्ता की आयु 55–60 वर्ष के बीच आंकी गई और इसी आधार पर फॉर्म–बी रजिस्टर में अंकित 15 जुलाई, 1950 की

जन्मतिथि को सही माना गया। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि रिट याचिका की विचाराधीनता के दौरान, रिट न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2014 को प्रतिवादी–एस०ई०सी०एल० को निर्देश दिया गया कि कक्षा 8 वीं की अंकसूची एवं ट्रांसफर प्रमाणपत्र को संबंधित विद्यालय से सत्यापित कर अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाए। माननीय एकलपीठ ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की कि वह सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपीलकर्ता ने आरटीआई के तहत 08.12.2015 को एक दस्तावेज़ प्राप्त किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 01.07.1964 से 31.07.1969 तक विद्यालय का नाम लेडी दादा भाई मिडिल स्कूल, चिरमिरी, जिला सरगुजा था तथा दिनांक 01.08.1969 को इसका नाम परिवर्तित कर बालक/बालिका मिडिल स्कूल, हल्दी बाजार, चिरमिरी कर दिया गया। आरटीआई के माध्यम से विद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रवेश रजिस्टर की प्रति में अपीलकर्ता की जन्मतिथि 19.11.1953 अंकित है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादी पक्ष ने माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2014 के अनुपालन में कोई कदम नहीं उठाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की जन्मतिथि 15.07.1950 के रूप में अंकित है। अपीलकर्ता शिक्षित व्यक्ति है एवं उसने अपने सेवा अभिलेख (फॉर्म–बी रजिस्टर) में अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1987 में तैयार दस्तावेज़ों में भी जन्मतिथि 15.07.1950 ही अंकित की गई। अपीलकर्ता को प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, किंतु उसने केवल मैट्रिकुलेशन की अंकसूची प्रस्तुत की, न कि मिडिल स्कूल बोर्ड परीक्षा की अंकसूची। इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन नंबर–76 (II No.76) के अनुसार, केवल वे दस्तावेज़, जो कर्मचारी द्वारा सेवा में प्रवेश से पूर्व प्राप्त एवं धारित किए गए हैं, जन्मतिथि सुधार के लिए मान्य हो सकते हैं। अपीलकर्ता का जन्मतिथि सुधार का दावा दिनांक 04.09.2000 को अस्वीकार कर दिया गया था, परंतु उसने इस निर्णय के विरुद्ध विलंब से वर्ष 2003 में रिट याचिका दायर की। प्रतिवादियों की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया

कि परिशिष्ट पी–1 एवं पी–2 (Ex. P1 एवं P2) दस्तावेज़ ADC के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, बल्कि केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र ही दिया गया, जो सेवा में प्रवेश के पश्चात जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी इंगित किया गया कि पूर्व में दायर रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 822/2003) में पारित आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता के मामले को ADC को संदर्भित किया गया था और समिति द्वारा दी गई राय के आधार पर जन्मतिथि सुधार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष ने II No.76 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपने तर्क को पुष्ट किया एवं यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा जन्मतिथि सुधार का दावा उसकी सेवा के अंतिम चरण में किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं हो सकता।

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलकर्ता का आवेदन अक्टूबर 1987 में प्रतिवादी– एस०ई०सी०एल० के कार्यालय में पहुँचा और इसके प्रत्युत्तर में अपीलकर्ता को अपनी आयु प्रमाणित करने हेतु प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 15.06.1988 को, उक्त पत्र प्राप्त होने के कुछ दिनों पश्चात, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी–एस०ई०सी०एल० द्वारा अपीलकर्ता के जन्मतिथि सुधार के दावे को वर्ष 2000 में, अर्थात् दिनांक 04.09.2000 को परिशिष्ट पी–10 (Annexure P10) के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। इस पत्र में केवल यह उल्लेख किया गया कि मामले की जाँच की गई एवं कोई औचित्य नहीं पाया गया, अतः सेवा अभिलेख में जन्मतिथि में सुधार संभव नहीं है।

11. इसके पश्चात, अपीलकर्ता ने वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 822/2003 दायर की। इस रिट याचिका की प्रति परिशिष्ट पी–14 के रूप में प्रस्तुत की गई है। उक्त रिट याचिका में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता ने लेडी दादा भाई मिडिल स्कूल, पेंडरी हिल, चिरमिरी, सरगुजा से 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी एवं साथ ही अंकसूची एवं स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) संलग्न किए गए थे।प्रतिवादियों ने रिट याचिका के प्रत्युत्तर में इन दोनों दस्तावेज़ों पर संदेह व्यक्त किया,

क्योंकि विद्यालय का नाम भिन्न रूप से उल्लेखित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलकर्ता के मामले को ADC को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया। ADC ने अपीलकर्ता की आयु का निर्धारण फॉर्म-बी रजिस्टर में किए गए प्रविष्टि के आधार पर किया। रेडियोलॉजी परीक्षण के अनुसार अपीलकर्ता की आयु 55-60 वर्ष के बीच पाई गई। हालाँकि, 8 वीं कक्षा की अंकसूची एवं स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (जो पूर्व रिट याचिका संख्या 822/2003 का अभिन्न भाग थे एवं प्रतिवादी पक्ष के पास उपलब्ध थे) पर विचार नहीं किया गया।

12. इस अपील के विषय-वस्तु संबंधी रिट याचिका की कार्यवाही के दौरान, माननीय एकलपीठ ने परिशिष्ट पी-14 (पूर्व रिट याचिका की प्रति) एवं प्रतिवादी द्वारा उस रिट याचिका में प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) में उल्लिखित विद्यालय के नाम तथा 'डुप्लीकेट' के रूप में जारी कक्षा 8 वीं की अंकसूची पर संदेह व्यक्त किया गया था। माननीय एकलपीठ ने दिनांक 01.09.2014 को पारित आदेश द्वारा प्रतिवादी को निर्देशित किया कि वह उक्त दोनों दस्तावेज़ों को संबंधित विद्यालय से सत्यापित कराए। आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "प्रतिवादी एस०ई०सी०एल० के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा परिशिष्ट पी/1 के रूप में प्रस्तुत मिडिल स्कूल अंकसूची एवं परिशिष्ट पी/2 के रूप में प्रस्तुत ट्रांसफर प्रमाणपत्र दो भिन्न-भिन्न विद्यालयों द्वारा जारी किए गए हैं। विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी एस०ई०सी०एल० को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की कक्षा 8 वीं की अंकसूची एवं ट्रांसफर प्रमाणपत्र को संबंधित विद्यालयों से सत्यापित कराए, जहां से ये जारी किए गए हैं।"

13. उक्त आदेश में, अपीलकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत विद्यालय के नाम आदि की जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी।

14.प्रतिवादी ने रिट याचिका की कार्यवाही के दौरान माननीय एकलपीठ द्वारा दिनांक 01.09.2014 को पारित आदेश के अनुसार दस्तावेज़ों का सत्यापन नहीं कराया। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं अनुपालन न करने की स्थिति से प्रतिवादी नियोक्ता के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान स्थापित किया जाना स्वाभाविक है। अपीलकर्ता ने अपील स्मरण पत्र (Memo of Appeal) के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी प्रवेश रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की। परिशिष्ट ए-5 (Annexure A5) में उपलब्ध विद्यालय के नाम से संबंधित जानकारी का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उद्धृत है:

> "दिनांक 01 जुलाई 1964 से 31 जुलाई 1969 तक विद्यालय 'लेडी दादा भाई मिडिल स्कूल, चिरमिरी, जिला सरगुजा' के नाम से संचालित था एवं दिनांक 01 अगस्त 1969 से विद्यालय का नाम परिवर्तित कर 'शासकीय (आ.जा.क.) कन्या/बालक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हल्दीबाड़ी (चिरमिरी), विकासखंड-खड़गवां, जिला-कोरिया (छ.ग.)' कर दिया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. आरटीआई के तहत जारी प्रवेश रजिस्टर की प्रति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता का नाम प्रविष्टि संख्या 622 पर दर्ज है तथा जन्मतिथि अंकित रूप में एवं शब्दों में 19.11.1953 दर्ज है। साथ ही, विद्यालय के नाम परिवर्तन का उल्लेख भी अभिलेख में किया गया है।

16. परिशिष्ट ए-5 को रिट अपील के साथ संलग्न किया गया है, किंतु अपीलकर्ता ने इस दस्तावेज़ को किसी शपथपत्र (Affidavit) अथवा अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया।

17. यदि मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए, तो यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता ने अपनी जन्मतिथि सुधार हेतु आवेदन 15.10.1987 को, अर्थात् अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से बहुत पूर्व प्रस्तुत किया था। अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2003 में दायर रिट याचिका में विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) एवं मिडिल स्कूल बोर्ड परीक्षा की

अंकसूची संलग्न की गई थी। यद्यपि डुप्लीकेट अंकसूची वर्ष 1996 में जारी की गई थी, किंतु विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) दिनांक 1968 में, अर्थात् सेवा में प्रवेश से पूर्व जारी किया गया था।

18. माननीय एकलपीठ द्वारा प्रतिवादी के पूर्व रिट याचिका में प्रस्तुत उत्तर पर आधारित होकर, केवल इस आधार पर कि परिशिष्ट पी–1 एवं पी–2 दस्तावेज़ अपीलकर्ता द्वारा अपनी प्रथम अभ्यावेदन दिनांक 07.10.1987 के साथ संलग्न नहीं किए गए थे, संदेह प्रकट करना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.10.1987 को प्राप्त अभ्यावेदन/आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रेषित पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि जन्मतिथि प्रमाण हेतु केवल वही अंकसूची प्रस्तुत करनी होगी, जो नियुक्ति तिथि से पूर्व जारी की गई हो। उक्त पत्र में केवल मध्य/मैट्रिकुलेशन स्तर की अंकसूची अथवा जन्मतिथि प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलकर्ता ने पहली बार वर्ष 2003 में, अपनी जन्मतिथि सुधार हेतु आवेदन अस्वीकृत होने के पश्चात किसी विधिक विशेषज्ञ से परामर्श किया। इसके पश्चात उसने वर्ष 1968 में जारी विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जो कि उसकी नियुक्ति तिथि से पूर्व का था। केवल इस आधार पर कि यह दस्तावेज़ वर्ष 1987 या 1988 में प्रस्तुत नहीं किया गया था, उस पर संदेह करना विधिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.06.1988 को प्रेषित पत्र में यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था कि केवल नियुक्ति तिथि से पूर्व जारी दस्तावेज़ ही मान्य होंगे।

20. प्रतिवादी के साथ कार्यरत किसी भी कर्मचारी की जन्मतिथि में संशोधन की प्रक्रिया Implementation Instruction No. 76 में प्रदान की गई है। यह निर्देश इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया।

क्रियान्वयन निर्देश संख्या 76

कर्मचारियों की आयु के निर्धारण/सत्यापन की प्रक्रिया

[A] नियुक्ति के समय आयु का निर्धारण

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण (Matriculates):

यदि नियुक्त कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उक्त प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को सही माना जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ii) अशिक्षित नहीं परंतु शिक्षित (Non–matriculates but educated):

यदि नियुक्त कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत रहा हो, तो विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) में दर्ज जन्मतिथि को सही माना जाएगा तथा उसमें किसी भी परिस्थिति में संशोधन नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) भूतपूर्व सैनिक (Ex–servicemen):

यदि भूतपूर्व सैनिक मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं है, तो आर्मी डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (Army Discharge Certificate) में दर्ज जन्मतिथि को सही माना जाएगा तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

यदि भूतपूर्व सैनिक ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यदि वह परीक्षा रक्षा सेवाओं (Defence Services) में प्रवेश से पूर्व उत्तीर्ण की गई थी, तो मैट्रिक प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को सही माना जाएगा, अन्यथा आर्मी डिस्चार्ज प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को सही माना जाएगा।

(iv) अशिक्षित कर्मचारी (Illiterate):

जिन नियुक्त कर्मचारियों पर उपरोक्त श्रेणियां लागू नहीं होतीं, उनकी जन्मतिथि कोलियरी मेडिकल अधिकारी (Colliery Medical Officer) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

निर्धारित जन्मतिथि को अंतिम एवं सही माना जाएगा तथा उसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

[B] वर्तमान कर्मचारियों की जन्मतिथि की समीक्षा / निर्धारण

(i) [a] यदि कर्मचारी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र या मिडिल पास प्रमाणपत्र उपलब्ध है तथा यह नियुक्ति तिथि से पूर्व जारी किया गया था, तो इसे सही जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(ii) [b] इसी प्रकार, माइनिंग सिरदारशिप (Mining Sirdarship), विंडिंग इंजन (Winding Engine) या अन्य वैधानिक प्रमाणपत्रों (Statutory Certificates) में यदि प्रबंधक द्वारा जन्मतिथि प्रमाणित की गई है, तो इन्हें भी प्रमाणिक माना जाएगा।

यदि [i] [a] एवं [ii] [b] दोनों उपलब्ध हैं, तो [i] [a] में दर्ज जन्मतिथि को ही अंतिम एवं प्रमाणिक माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) यदि अभिलेखों में जन्मतिथि में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, तो ऐसे मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा, जब तक कि कोई स्पष्ट एवं गंभीर त्रुटि प्रबंधन के संज्ञान में न लाई जाए। यदि प्रबंधन संतुष्ट होता है कि मामले में सुधार की आवश्यकता है, तो आयु निर्धारण समिति (Age Determination Committee) / मेडिकल बोर्ड (Medical Board) के माध्यम से आवश्यक सुधार किया जाएगा।

[C] आयु निर्धारण समिति / मेडिकल बोर्ड का गठन

यदि कर्मचारी की जन्मतिथि का निर्धारण उपरोक्त [B] [i] [a] या [B] [ii] [b] के अनुसार नहीं किया जा सकता, तो कंपनी के आधिकारिक अभिलेख (Form B Register, CMPF Records, Identity Card – यदि बिना छेड़छाड़ के हैं) में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम माना जाएगा।

यदि इन अभिलेखों में अंतर पाया जाता है, तो मामला प्रबंधन द्वारा गठित आयु निर्धारण समिति / मेडिकल बोर्ड को भेजा जाएगा।

[D] आयु निर्धारण समिति / मेडिकल बोर्ड द्वारा साक्ष्य पर विचार

उक्त समिति / मेडिकल बोर्ड कोलियरी प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार कर आयु निर्धारण करेगा।

[E] मेडिकल बोर्ड द्वारा आयु का निर्धारण

मेडिकल बोर्ड चिकित्सा विधिशास्त्र (Medical Jurisprudence) के सिद्धांतों के अनुसार आयु का आकलन करेगा तथा जहां तक संभव हो, सटीक उम्र का निर्धारण करेगा, न कि केवल एक अनुमानित उम्र का।

[F] प्रबंधन द्वारा समीक्षा एवं अपेक्स मेडिकल बोर्ड को संदर्भण

यदि क्षेत्रीय आयु मूल्यांकन समिति (Area Age Assessment Committee), जिसमें महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं क्षेत्रीय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं, को यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कंपनी के अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि एवं कर्मचारी की वास्तविक उम्र में गंभीर असमानता है, तो मामले को कंपनी मुख्यालय में स्थित अपेक्स मेडिकल बोर्ड (Apex Medical Board) को संदर्भित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[H] आयु निर्धारण के पश्चात सूचना एवं कंप्यूटरीकरण

आयु निर्धारण समिति / मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा तथा एक माह के भीतर कर्मचारी एवं संबंधित इकाई को प्रिंटआउट प्रदान किया जाएगा।

यदि आयु निर्धारण की प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत नहीं हो पाती, तब भी एक माह के भीतर कर्मचारी एवं संबंधित इकाई को सूचना दे दी जाएगी।

[I] वर्ष के रूप में दर्ज जन्मतिथि का निर्धारण

यदि किसी मामले में सटीक जन्मतिथि के स्थान पर केवल जन्म वर्ष दर्ज है, तो उस वर्ष की 1 जुलाई को जन्मतिथि माना जाएगा।

21. **क्रियान्वयन निर्देश संख्या 76** के अनुसार, सेवा/नियुक्ति के समय आयु निर्धारण **मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र** के आधार पर किया जाना आवश्यक है। यदि कर्मचारी **गैर–मैट्रिक (Non–Matriculate)** है, तो उसकी जन्मतिथि विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) में उल्लिखित तिथि के आधार पर मानी जाएगी। वर्तमान कर्मचारियों के मामले में, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या मिडिल पास प्रमाणपत्र, जो नियुक्ति की तिथि से पूर्व जारी किया गया हो, को प्रमाणिक माना जाएगा।

22. **अशोक कुमार ठाकुर बनाम एसईसीएल** एवं अन्य (WPS–138/2016) मामले में, प्रतिवादी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया कि **जनरल मजदूर (General Mazdoor) की नियुक्ति के समय कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं होता**। इस संदर्भ में, नियोक्ता द्वारा दायर रिट अपील का निर्णय देते समय हमें इस तर्क पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त मामले में, अपीलकर्ता की नियुक्ति 05.03.1972 को जनरल मजदूर के रूप में हुई। तत्पश्चात, **18.09.1987** को प्रतिवादी विभाग द्वारा Annexure P7 के माध्यम से एक मुद्रित प्रपत्र जारी किया गया, जिसमें उल्लेख था कि रिक्त स्थानों में विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है एवं इसे भरकर कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। इस प्रपत्र में **जन्मतिथि 15.07.1950** अंकित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को इस प्रपत्र से पहली बार ज्ञात हुआ कि सेवा पुस्तिका (Service Book) में कौन–सी जन्मतिथि दर्ज है। अतः **07.10.1987** को अपीलकर्ता ने अपनी जन्मतिथि के संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अर्थात Annexure P8 में उल्लिखित तिथि के अनुसार गलत प्रविष्टि का ज्ञान होने के एक माह के भीतर आवेदन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अपीलकर्ता ने अपनी जन्मतिथि में संशोधन हेतु विलंब किए बिना तुरंत आवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि, सेवा में प्रवेश की तिथि से लगभग 15 वर्षों के उपरांत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया, तथापि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि प्रारंभिक नियुक्ति जनरल मजदूर के रूप में हुई थी एवं विभाग ने **18.09.1987** को Annexure P7 जारी कर जन्मतिथि की

प्रविष्टि भरने के लिए कहा था। इसके तत्पश्चात, 07.10.1987 को अपीलकर्ता ने जन्मतिथि संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका उल्लेख Annexure P8 में है।

24.जन्मतिथि संशोधन हेतु आवेदन दायर करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा विधि द्वारा निर्धारित नहीं है, किंतु यह उचित समयावधि (Reasonable Time) के भीतर किया जाना आवश्यक है। **उचित समय क्या होगा**, यदि इसे विशेष रूप से प्रमाणित न किया गया हो, तो यह वह तिथि मानी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति को गलत प्रविष्टि का ज्ञान हुआ। इस मामले में, अपीलकर्ता ने गलत जन्मतिथि की जानकारी प्राप्त होने के एक माह के भीतर संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। यह तिथि **अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति से लगभग 23 वर्ष पूर्व की है**।

25.उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, इस **न्यायालय की राय में** ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अपीलकर्ता का आवेदन अत्यधिक विलंबित (Highly Belated) है या सेवा अवधि के अंतिम चरण में प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, जब **प्रतिवादी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नियुक्ति के समय सेवा पुस्तिका में अपीलकर्ता की जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी**, तो ऐसे में आवेदन को विलंबित मानने का कोई औचित्य नहीं बनता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेडएवं अन्य बनाम श्याम किशोर सिंह [(2014) 12 SCC 570] के मामले में, इसी प्रकार के विषय पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

15. जैसा कि हमने उल्लेख किया है, प्रतिवादी ने **1987 में**, नामांकन प्रपत्र से अपनी सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि की गलत प्रविष्टि के बारे में जानने के बाद, उसके संशोधन हेतु अनुरोध किया। इसलिए, यह संशोधन सेवा के अंतिम चरण में नहीं मांगा गया था। हमने आगे देखा कि **उच्च न्यायालय** ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को विधिवत सत्यापित किया, जो कि 06–09–2010 को **श्री दिलीप कुमार मिश्रा**, कानूनी निरीक्षक, **अपीलकर्ता कंपनी** द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक पूरक हलफनामे के आधार पर किया गया। उक्त पूरक हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

सत्यापित किया गया और **वह प्रमाणिक पाया गया**। हमने आगे देखा कि Implementation Instruction No.76 के **खंड (i)(a)** के अनुसार, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को **सही मानकर** संशोधन की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि **ऐसे प्रमाण पत्र नियुक्ति की तिथि से पूर्व संबंधित शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी किए गए हों**। **"were issued"** शब्दों की व्याख्या को उच्च न्यायालय ने सही रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य इन प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को रोकना था, जिससे कि सेवा अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया न जा सके। उच्च न्यायालय ने सही रूप से यह स्पष्ट किया कि ये शब्द उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां स्कूल अभिलेखों में जन्मतिथि **नियुक्ति से काफी पहले दर्ज की गई हो**। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि वास्तव में **स्कूल के उन अभिलेखों से संबंधित होती है, जिनके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है**। आमतौर पर, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र छात्र द्वारा स्कूल छोड़ते समय प्राप्त किया जाता है, लेकिन यदि छात्र अपना प्रमाण पत्र खो देता है और इसकी नई प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो नई प्रति जारी करना स्कूल अभिलेखों में पहले से दर्ज जन्मतिथि को नहीं बदल सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, अपीलकर्ता ने अपनी **सेवानिवृत्ति की तिथि से लगभग 23 वर्ष पूर्व**, अपनी जन्मतिथि में संशोधन के लिए **तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया**। मांग किए जाने पर, उन्होंने अपना **मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किया और तत्पश्चात मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, जैसा कि रिट अपील में संलग्न परिशिष्ट 'A' में उल्लिखित है। इस दस्तावेज़ को प्रतिवादी द्वारा विचार में नहीं लिया गया। अपीलकर्ता का आवेदन वर्ष 2000 में अस्वीकार कर दिया गया और वर्ष **2003 में दायर रिट याचिका** में भी अपीलकर्ता ने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मध्यमा परीक्षा प्रमाण पत्र और **मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र** संलग्न किया, जिसमें उनकी **जन्मतिथि 19.11.1953** अंकित थी। **स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र** में यह उल्लिखित है कि अपीलकर्ता वर्ष 1968 में कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण था। मध्यमा विद्यालय बोर्ड की अंकसूची भी वर्ष **1968 में उत्तीर्ण होना दर्शाती है**, हालांकि इसकी प्रति वर्ष 1996 में "डुप्लिकेट" के रूप में जारी की गई। **1968 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र** और **सूचना का**

अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त "प्रवेश रजिस्टर की प्रति" यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ता की जन्मतिथि 19.11.1953 है। **मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र** में भी वही जन्मतिथि दर्ज है, जो स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, प्रवेश रजिस्टर और मध्यमा परीक्षा प्रमाण पत्र में उल्लिखित है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार, **लेडी दादाभाई स्कूल का नाम परिवर्तित कर "शासकीय (जनजातीय) बालक मध्य विद्यालय, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी" कर दिया गया। 2003 की रिट याचिका में संलग्न "स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र" वर्ष 1968 में जारी किया गया था।** जब आयु निर्धारण समिति (ADC) के समक्ष अपीलकर्ता एवं उनके दावे की जांच की गई, तो इन दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया, **जबकि ये सभी दस्तावेज उनके समक्ष याचिका के अभिन्न भाग के रूप में उपलब्ध थे**, जिनके आधार पर अपीलकर्ता को ADC के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

28.प्रतिवादियों को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा **विद्यालय से दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था**, किंतु उन्होंने इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया। **आयु निर्धारण समिति (ADC) एवं प्रतिवादियों द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, मध्यमा विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को विचार में न लेकर केवल सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि पर विचार करना, प्रतिवादियों द्वारा सत्ता का मनमाना प्रयोग है**, विशेषकर जब प्रतिवादी यह दर्शाने में असफल रहे कि नियुक्ति के समय सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता की **स्कूल अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के अनुसार, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि पर आयु लगभग 18 वर्ष, 4 माह एवं 11 दिन थी**।

29.उपर्युक्त चर्चा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि **अपीलकर्ता ने अपने सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि संशोधन हेतु एक ठोस मामला प्रस्तुत किया है**, जिसमें उन्होंने अखंडनीय (दस्तावेजी) प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, अर्थात् **परिशिष्ट P1 एवं P2 (रिट याचिका–822/2003), रिट याचिका (S)–6488/2007 का PB (मध्यप्रदेश लाइसेंसिंग बोर्ड से प्राप्त वायर मैकेनिक आवेदन की प्रति), एवं अपील में संलग्न परिशिष्ट A5**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30.अपील स्वीकार की जाती है तथा विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता की जन्मतिथि 19.11.1953 मानी जाएगी तथा सेवा अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए जाते हैं। अपीलकर्ता, इस न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। **अतः, उन्हें सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, मानो उनकी सेवानिवृत्ति 19.11.1953 की जन्मतिथि के आधार पर हुई हो**। साथ ही, अपीलकर्ता को **पूर्व–परिपक्व सेवानिवृत्ति के कारण कार्य न कर पाने की अवधि हेतु 25% बैक वेतन प्राप्त करने का भी अधिकार होगा**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(पीआर रामचन्द्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एमसीसी क्रमांक 308 वर्ष 2020

(कार्यालय संदर्भ)

सैय्यद यासीन पुत्र एस.के. इब्राहिम, आयु लगभग 66 वर्ष इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सी, एन.सी.पी.एच. कोलियरी चिरमिरी क्षेत्र माइंस हल्दीबाड़ी आमानाला चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---- आवेदक

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से

2. मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र, एन.सी.पी.एच. कोलियरी चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

3. मुख्य निजी प्रबंधक एन.सी.पी.एच. कोलियरी चिरमिरी क्षेत्र पोस्ट हल्दीबाड़ी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ 4. महाप्रबंधक (आई आर एंड एल) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

-----प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री पीआर रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू

बोर्ड पर आदेश

प्रति पार्थ प्रतिम साहू, जे. 18.06.2020

1. निर्णय में उल्लिखित तिथि में गलती को इंगित करने पर, यह एमसीसी स्वतः संज्ञान से पंजीकृत है।

2. रिट अपील 564/2019 के निर्णय में, निर्णय के कॉलम में दिनांक '18.05.2020' के रूप में उल्लेख किया गया है। लेकिन अनजाने में लिपिकीय त्रुटि के कारण, निर्णय अपलोड करते समय, तारीख 18.05.2020 के बजाय '18.05.2019' अंकित हो गई है।

3. रिकॉर्ड देखने पर, निर्णय के पैराग्राफ–1 में एक और टाइपोग्राफिकल त्रुटि पाई गई है, यानी रिट याचिका (एस) का वर्ष गलत दिखाया गया है और रिट याचिका (एस) की संख्या 'डब्ल्यूपीएस–6488 ऑफ 2017' बताई गई है; जबकि, रिट याचिका (एस) की सही संख्या 'डब्ल्यूपीएस–6488 ऑफ 2007' है। इस गलती का भी स्वतः संज्ञान लिया गया है।

4. निर्णय में ये गलतियाँ केवल टाइपोग्राफिकल त्रुटियाँ हैं।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि रिट अपील संख्या 564/2019 के निर्णय में अनजाने में हुई टाइपोग्राफिकल त्रुटि, जिसके निर्णय की तिथि '18.05.2019' है, को '18.05.2020' के रूप में सुधारा जाए; और इसी प्रकार, निर्णय के पैराग्राफ–1 में दर्शाए गए 'डब्ल्यूपीएस संख्या 6488/2017' को 'डब्ल्यूपीएस संख्या 6488/2007' के रूप में सुधारा जाए।

6. इस आदेश की प्रति को रिट अपील संख्या 564/2019 के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(पीआर रामचन्द्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**